10/03/25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उप०
प्रा०पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार किया जाता है। विस्तृत
निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल किया गया।
नंबर से क्षय हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2024/274

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.11 18:12:43 IST
Reason: SelfAttested

२

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

गोपालराम आदि   बनाम   कमला देवी वगैरह

मुकदमाः–212 आर0टी0ए0   प्रकरण संख्याः–117/2024 (GCMS No. 2024/274)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.03.2025	(see below)	

10.03.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 के नाम से संयुक्त खाता में तहसील सूरतगढ़ के चक 5 एस0डी0 की जमाबंदी सम्वत् 2073 ता 76 की कुल 3.364 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें प्रार्थी संख्या 1 के नाम 21/1130 हिस्सा यानि 0.0625 हैक्टर तथा प्रार्थी संख्या 2 के नाम 251/1130 हिस्सा यानि 0.7472 खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। जैरवाद रकबा अच्छी व अच्छी व खराब तथा उपजाउ व अनउपजाउ दोनों किस्म की है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का घरू बंटवारा नही हुआ है। संयुक्त रूप से काश्त करते है। जैरवाद रकबा संयुक्त खाता का होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 की सहमति प्राप्त करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। रकबा संयुक्त होने से भूमि सुधार नही कर सकते है। जैरवाद रकबा छोटे टुकड़ो में बंटा हुआ है। जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 1 ता 8 काश्तकार है। अप्रार्थीगण छोटे–छोटे टूकडों में अजनबी क्रेताओं को बेचने पर उतारू है। बिना खाता विभाजन करवाये बेचने से प्रार्थीगण को भारी परेशानी हो रही है। अच्छी भूमि बेचान करने पर उतारू है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण का साबित होता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें। कानूनी नजीर आरआरटी 2021 (2) पेज 1325 प्रस्तुत की है।

वकील अप्रार्थी संख्या–05 ने जवाब को दोहराते हुए बताया कि जैरवाद रकबा की किस्म कमाण्ड है। जैर प्रकरण रकबा पर लगातार काश्त होती आ रही है। कमाण्ड रकबा होने से खराब श्रेणी की भूमि नही है। मात्र कहने से नही माना जा सकता है। प्रार्थीगण के नाम से रकबा अंकित है, जो कि खातेदारी है। प्रार्थीगण को अपने हिस्सा अनुसार सरकारी सुविधाएं तथा योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सकता है। संयुक्त काश्तकारों के सहमति की कोई आवश्यकता नही है। अप्रार्थी संख्या 5 के नाम से 1.184 हैक्टर भूमि दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्थगन प्राप्त किया है। सहखातेदार के विरूद्ध स्थगन प्राप्त नही जारी किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र बिना कारण प्रस्तुत करने के कारण निरस्त किया जावें। कानूनी नजीर आरआरटी 2015 (2) पेज 976, आरआरटी 2016 (1) पेज 113 की है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया एवं प्रस्तुत कानूनी नजीरों का अध्ययन किया। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 के नाम से संयुक्त खाता में तहसील सूरतगढ़ के चक 5 एस0डी0 की जमाबंदी सम्वत् 2073 ता 76 की कुल 3.364 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर आरआरटी 2021 (2) में प्रकरण 212 आर0टी0ए0 पुनः सुनवाई करने हेतु रिमाण्ड किया गया है। ना कि अंतिम निर्णय पारित किया गया है। इसलिये उक्त कानूनी नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नही होती है। संयुक्त खाता की भूमि में प्रत्येक सह काश्तकार का प्रत्येक ईंच पर कब्जा माना जाता है। जमाबंदी में अभिलिखित संयुक्त खातेदार काश्तकार के विरूद्ध स्थगन जारी किया [illegible] वकील अप्रार्थी संख्या 05 द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर आरआरटी [illegible] पेज 113 इस प्रकरण पर चस्पा होती है। प्रार्थना पत्र [illegible] समझते है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर [illegible] अस्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी स्थगन आदेश दिन[illegible] 24.05.2024 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.11 18:12:43 IST
Reason: SelfAttested